न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 15 सन 2026

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर हाल नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 01/06/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 के ख.न. 49/2 की 1.2650 हैक्टर भूमि, ख.न. 93/2 की 2.0240 हैक्टर, ख.न. 96/1 की 1.9920 हैक्टर भूमि कुल खसरे 3 की 5.2810 हैक्टर भूमि में प्रार्थी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार था। प्रार्थी ने रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 की कुल तादादी 5.2810 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा की 1.7603 हैक्टर भूमि यानि सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 03/05/2021 को अप्रार्थी सं. 1 को बैयनामा करवा दिया।

प्रार्थी ने माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर में दिनांक 03/05/2021. के बैयनामा को अवैध एवं शुन्य घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया एंव प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा हो गया एंव माननीय अपर जिला न्यायाधीश नोहर में दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा तस्दीक हो गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर के मुल वाद संख्या बै छ्व 03/2024 बअनवानी रामकुमार बनाम मुकेश कुमार आदि दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा के अनुसार डिक्री कर दिया तथा एवं मूल राजीनामा डिक्री कर भाग रहेगा के अनुसार पर्चा डिक्री जारी की गई। एवं अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा दिनाक 03/05/2021 जो कि उप पंजीयक कार्यालय नोहर से तस्दीक शुदा को अवैध व शुन्य घोषित कर दिया गया है। बैयनामा दिनांक 03/05/2021 को शुन्य एवं अवैध माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा वैयनामा दिनाक 03/05/2021 को शुन्य एवं अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया गया है इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर के निर्णय दिनांक 03/05/2021 के अनुसरण में पूर्व स्थिति बहाल करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 की 1.7603 हैक्टर भूमि का अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाऐ गये बैयनामा दिनांक 03/5/2021 निरस्त होने पर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया की प्रार्थी का प्रार्थना मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 के ख.न. 49/2 की 1.2650 हैक्टर भूमि, ख. न. 93/2 की 2.0240 हैक्टर, ख.न. 96/1 की 1.9920 हैक्टर भूमि कुल खसरे 3 की 5. 2810 हैक्टर भूमि में प्रार्थी सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार था। प्रार्थी ने रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 की कुल तादादी 5. 2810 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा की 1.7603 हैक्टर भूमि यानि सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 03/05/2021 को अप्रार्थी सं. 1 को बैयनामा करवा दिया। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर में दिनांक 03/05/2021. के बैयनामा को अवैध एवं शुन्य घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया एंव प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा हो गया एंव माननीय अपर जिला न्यायाधीश नोहर में दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा तस्दीक हो गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर के मुल वाद संख्या बै छ्द 03/2024 बअनवानी रामकुमार बनाम मुकेश कुमार आदि दिनांक 30/03/2026 को राजीनामा के अनुसार डिक्री कर दिया तथा एवं मूल राजीनामा डिक्री कर भाग रहेगा के अनुसार पर्चा डिक्री जारी की गई। एवं अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा दिनाक 03/05/2021 जो कि उप पंजीयक कार्यालय नोहर से तस्दीक शुदा को अवैध व शुन्य घोषित कर दिया गया है। बैयनामा दिनांक 03/05/2021 को शुन्य एवं अवैध माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा वैयनामा दिनाक 03/05/2021 को शुन्य एवं अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया गया है इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर के निर्णय दिनांक 03/05/2021 के अनुसरण में पूर्व स्थिति बहाल करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 467/453 की 1.7603 हैक्टर भूमि का अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाऐ गये बैयनामा दिनांक 03/5/2021 निरस्त होने पर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि बैयनामा दिनांक 03.05.2021 की पालना में नामान्तरण दर्ज हो चुका है एवं उक्त बैयनामा निरस्त हो चुका है इसलिए दिनांक बैयनामा दिनांक 03.05.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल कि जावे। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 03.05.2021 की चित्रप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादी स0 1 को रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 467/453 की 1.7603 हैक्ट भूमि बैय किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा राजकुमार बनाम मुकेश में उक्त बैयनामा दिनांक 03.05.2021 को वादी व प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर निरस्त किया गया है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 467/453 की 1. 7603 हैक्ट भूमि की दिनांक 03.05.2021 के बैयनामे से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार नोहर को पालना हेतु प्रेषित की जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Rahul

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर